



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नगीना देहात

दिनांक 04-09-2023

थाना नगीना देहात पुलिस ने अभियुक्त को 261 ग्राम अवैध चरस सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व नशील पदार्थों/गोलियों आदि की ब्रिकी/परिवहन आदि में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04/09/2023 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा गस्त/चेकिंग के दौरान अभियुक्त रईस पुत्र मौ० हनीफ निवासी सरफुद्दीननगर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को 261 ग्राम अवैध चरस सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना नगीना देहात पर मु०अ०सं० 172/23 धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट बनाम रईस उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

रईस पुत्र मौ० हनीफ निवासी सरफुद्दीननगर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।

बरामदगी का विवरण –

261 ग्राम अवैध चरस ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ०नि० श्री रवि कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
- 2.है०का० 31 अमित कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
- 3.का० 1384 अमित कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।

थाना शेरकोट क्षेत्रान्तर्गत महिला का शव मिलने के सम्बन्ध में ।

आज दिनांक
04.09.2023 को समय 13.30
बजे थाना शेरकोट क्षेत्रान्तर्गत
हरेवली बैराज के पास पोषक
नदी के किनारे एक 46 वर्षीय
महिला का शव मिलने की सूचना



प्राप्त हुई । सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा शव की शिनाख्त कर पंचायतनामा की कार्यवाही के उपरान्त पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल मोर्चरी भेजा गया । वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है । प्रथम दृष्टया पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद होने की बात प्रकाश में आयी है । स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये अभियुक्त शमीम अहमद पुत्र बुंदू खां निवासी मोहल्ला गौहर अली खां कस्बा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को पुलिस हिरासत में लिया गया है । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।